

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध- /2019/ 315

दिनांक:- 09.07.2019

-:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	जोधाराम मीणा	नर्स प्रथम	जालौर	15.07.1959	31.07.2019
2.	बाबू लाल यादव	नर्स प्रथम	जयपुर	20.07.1959	31.07.2019
3.	कैलाश चन्द्र वर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	06.08.1959	31.08.2019
4.	अनम्मा कुर्वीला	नर्स प्रथम	जयपुर	31.08.1959	31.08.2019
5.	जगदीश प्रसाद	नर्स प्रथम	करौली	15.09.1959	30.09.2019
6.	गिरीराज प्रसाद गौतम	नर्स प्रथम	जयपुर	05.11.1959	30.11.2019
7.	यशवन्त कुमार जड़िया	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	02.12.1959	31.12.2019
8.	गीता चौधरी	नर्स प्रथम	जोधपुर	31.12.1959	31.12.2019
9.	अन्नम्मा के.जी.	नर्स प्रथम	जयपुर	15.12.1959	31.12.2019
10.	रामप्रसाद जाटव	नर्स प्रथम	जयपुर	01.01.1960	31.12.2019
11.	अशोक कुमार शर्मा	नर्स प्रथम	कोटा	04.01.1960	31.01.2020
12.	नन्दलाल पालीवाल	नर्स प्रथम	राजसमद	10.01.1960	31.01.2020
13.	रुबी वाटसन	नर्स प्रथम	अजमेर	19.01.1960	31.01.2020
14.	सत्यनारायण वर्मा	नर्स प्रथम	कोटा	21.01.1960	31.01.2020
15.	अनिल कुमार शर्मा	नर्स प्रथम	रतनगढ़ चूरु	04.01.1960	31.01.2020
16.	श्रीलता	नर्स प्रथम	सिरोही	17.02.1960	29.02.2020
17.	महेश चद शर्मा	नर्स प्रथम	अजमेर	31.03.1960	31.03.2020
18.	गीतम्मा एम.एस.	पीएचएन	बाड़मेर	25.05.1960	31.05.2020
19.	मोहनसिंह राणा राजपूत	नर्स प्रथम	बाड़मेर	12.05.1960	31.05.2020
20.	सताराम कोडेचा	नर्स प्रथम	बाड़मेर	05.07.1960	31.07.2020
21.	गजेन्द्र सिंह सोलकी	नर्स प्रथम	बाड़मेर	25.08.1960	31.08.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-1/2019/ 315

दिनांक:- 09.07.2019

प्रतिलिपि.- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (क रा बी योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।

8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर